न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रा0पत्र 01/2020

प्रार्थीः—

1. श्री ढलाराम पुत्र स्व. नन्दाराम जाति मारूकुमार उम्र 92 वर्ष, निवासी टेवाली खुर्द तहसील पाली (राज.)

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. खरताराम पुत्र ढलाराम टेवाली खुर्द, पाली
2. मोहनलाल पुत्र ढलाराम टेवाली खुर्द, पाली
3. दुदाराम पुत्र ढलाराम जातिगण मारूकुम्हार टेवाली खुर्द, पाली

1. श्री ढलाराम, प्रार्थी।
2. श्री खरताराम, श्री मोहनलाल, श्री दुदाराम अप्रार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 5 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

—:निर्णयः— **दिनांक** 16—01—2020

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे तीनो बेटे अप्रार्थीगण मेरी सम्पति धोखे से हड़प कर अपने नाम रजिस्ट्री कर खाडिया (खेत का नाम) जो सम्पति जमीन बुसी व टेवाली मे करीब 50—60 लाख रूपये किमत की है। जो मेरे नालायक बेटों ने अपने नाम करवा दि तथा मुझे घर से बेदखल कर दिया है। मुझे मेरे भरण पोषण भी नहीं करते न कोई दवाई ईलाज करवाते है तथा मारपीट कर घर से निकाल दिया मेरी पत्नी नहीं है। मेरी उम्र 92 वर्ष वरिष्ठ नागरिक गरीब व्यक्ति है मुझे मरे बेटों से सभी सम्पतियों पुनः दिलाई जावे व मासिक 20,000/— भरण पोषण दिलाया जावे व मेरे रहने का इन्तजाम करवायें उपरोक्त विहित सख्त कार्यवही करावें।

अतः मेरी सम्पति पुनः मुझे दिलावे रजि. हस्तातरण निरस्त करावें व भरण पोषण दिलावें।

2. प्रार्थना—पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किये।

3. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया।

4. जिस पर बहस उभयपक्ष को सुना गया।

5. प्रार्थी ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि मेरे तीनो बेटे अप्रार्थीगण मेरी सम्पति धोखे से हड़प कर अपने नाम रजिस्ट्री करवाई रजिस्ट्री कर खाडिया (खेत का नाम) जो सम्पति जमीन बुसी व टेवाली मे करीब 50—60 लाख रूपये मेरे बेटों ने अपने नाम करवा दी तथा मुझे घर से बेदखल कर दिया मुझे मेरे भरण पोषण भी नहीं करते न कोई दवाई ईलाज करवाते है तथा मारपीट कर घर से निकाल दिया मेरी पत्नी नहीं है। मेरी उम्र 92 वर्ष वरिष्ठ नागरिक गरीब व्यक्ति है मुझे मरे बेटों से सभी सम्पतियों पुनः दिलाई जावे व मासिक 20,000/— भरण पोषण दिलाया जावे।

6. अप्रार्थीगण ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि हम हमारे पिताजी का खर्च उठाने के लिए तैयार है। तथा इनके खाते मे बतौर भरण पोषण राशि जमा करेंगे।

7. बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1,2 व 3 प्रार्थी के पुत्र है। तथा इनकें प्रार्थी की समस्त भरण पोषण कि जिम्मेदारी बनती है प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 व2 से भरण—पोषण लेना चाहते है जो प्रार्थीया की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

है। साथ ही तीनों पुत्र वृद्ध पिता की सही ढंग से देखभाल, ईलाज एवं भरण पोषण इत्यादि नहीं कर रहें है।

8. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1,2 व 3 को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी का यदि बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं हो तो खाता खुलवा कर प्रति माह प्रत्येक अप्रार्थीगण 3,000/–, 3,000/– व 3,000/– रूपये कुल 9,000/– अक्षरे रूपये नौ हजार रूपयें मासिक बतौर भरण–पोषण के जमा करवावें। तबैंक/पोस्ट ऑफिस में उक्त राशि जमा करवा कर रसीद अपने पास बतौर सबूत रखें। साथ ही तहसीलदार पाली एवं रानी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी श्री ढलाराम के नाम की कृषि भुमि ग्राम टेवाली एवं ग्राम बुसी मे स्थित है। जो उनके पुत्र श्री खरताराम, मोहनलाल, दुदाराम के नाम हस्तांतरण/ दर्ज कि गई है जो पुनः प्रार्थी श्री ढलाराम पुत्र स्व. नन्दाराम जाति मारूकुमार उम्र 92 वर्ष, निवासी टेवाली खुर्द तहसील पाली के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर पालना आदेश प्राप्ति के पश्चात् 15 दिवस मे इस न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की अवहेलना करने पर अप्रार्थीगण संख्या 1,2 व 3 के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जा सकेगी।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

यह आदेश आज दिनांक 16–01–2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.12 16:20:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: